उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–7
संख्या–1981 अड़तीस–7–2014–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए / 2012
लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

चूंकि सरकारी अधिसूचना संख्या–1172 / अड़तीस–7–2014–153एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए / 2012 दिनांकः 21 मई, 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या–42 सन् 2005) की धारा–32 की उप–धारा(1) के अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014 के संबंध में संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिये और आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिये जारी किया गया था;

और चूंकि नियत समय के भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा(2) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम

1– (1) यह नियमावली **उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी(बेरोजगारी भत्ता) नियमावली, 2014 कही जायेगी।**

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 42 सन् 2005) से है ;

(ख) "दिवस" का तात्पर्य किसी कार्य दिवस से है ;

(ग) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता

3– (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत हो और उसके पास राज्य स्कीम के अधीन वैध जाब कार्ड हो और उसने अधिनियम के अधीन मजदूरी सम्बन्धी रोजगार की चाहत रखते हुए ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हो और उसे रोजगार की अपेक्षा सम्बन्धी आवेदन पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार न प्रदान किया गया है, वह वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिन के लिए प्रचलित मजदूरी दर के एक चौथाई भाग और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रचलित मजदूरी दर के आधे भाग के

बराबर की दर से दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

रोजगारी भत्ता स्वीकृत एवं ान करने हेतु प्राधिकारी

4— संदेय बेरोजगारी भत्ता जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगा।

रोजगारी भत्ते के गतान की प्रक्रिया

5— (क) बेरोजगारी भत्ते का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसे भत्ते के लिए पात्र होने के दिनांक को इस नियमावली के अधीन प्रपत्र संख्या–1 में ग्राम पंचायत के समक्ष बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षा करते हुए आवेदन करेगा।

(ख) प्रपत्र–4 में रोजगार की अपेक्षा करने वाले आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते समय अधिनियम के अधीन प्रपत्र 5 में प्राप्त की गयी पावती की एक प्रति उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

(ग) उक्त आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर ग्राम पंचायत आवश्यक जांच करेगी और यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन पंजीकृत है और उसके पास जाब कार्ड है तथा वह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए हकदार है तो वह आवेदन पत्र को अपनी अभ्युक्ति के साथ दो दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(घ) खण्ड ग के अधीन ग्राम पंचायत से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्कीम के अधीन रोजगार के लिए पंजीकृत है और वह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए हकदार है, तो कार्यक्रम अधिकारी को तीन दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष समस्त दावों को संस्तुति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। सत्यापन अधिकारी का उत्तरदायित्व सुस्पष्ट है।

(ड.) जिला कार्यक्रम समन्वयक दावे की वैधता और उसके सम्बन्ध में किये गये सत्यापन से अपना समाधान कर लेने के उपरान्त इस नियम के अधीन प्रपत्र संख्या 2 में उस आशय का एक आदेश जारी करेगा जिसमें वह अवधि इंगित होगी जब तक के लिए बेरोजगारी भत्ता देय है और अपने आदेश के अनुसार युक्तियुक्त समय के भीतर बैंक या डाक घर के माध्यम से आवेदक के खाते में भुगतान करेगा।

(च) जिला कार्यक्रम समन्वयक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिन के लिए प्रचलित मजदूरी दर के एक चौथाई भाग और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रचलित मजदूरी दर के आधे भाग के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा।

(छ:) जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ पृथक रुप से रक्षित धनराशि में से अपेक्षित व्ययों की पूर्ति करेगा।

(ज) यदि जिला कार्यक्रम समन्वयक बेरोजगारी भत्ते की मांग को अस्वीकृत कर देता है तो वह उसके अस्वीकृत किये जाने के कारण को अभिलिखित करेगा और नियमावली के अधीन प्रपत्र 3 में आवेदक को सूचित करेगा। कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र पर उसकी प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

(झ) जिला कार्यक्रम समन्वयक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

(ञ) जिला कार्यक्रम समन्वयक पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करते

समय केवल पाने वाले के खाते में देय चेक (अकाउन्ट पेयी चेक) के माध्यम से ही भुगतान करेगा।

(ट) भुगतान के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के संबंध में एम0आई0एस0 और जाब कार्ड में प्रविष्टि करेगा।

(ठ) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रपत्र 4 में एक रजिस्टर रखा जाएगा।

ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

6— यदि ग्राम पंचायत आवेदक को उसके आवेदन पत्र के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को पर्याप्त समय के भीतर अग्रिम रुप से अवगत करायेगी ताकि कार्यक्रम अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकने में समर्थ हो सकें।

(2) बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर ग्राम पंचायत आवेदक को अनुमति प्रदान करेगा कि वह अपने रोजगार के साक्ष्य के रुप में उक्त प्रयोजन के लिए खोले गये रजिस्टर या शीट में दैनिक उपस्थित कर दर्ज करे।

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार न करने पर प्रकिया

7— (1) कोई आवेदक पर्याप्त साक्ष्य के साथ अपना आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष इस आशय से सीधे प्रस्तुत कर सकता है कि ग्राम पंचायत ने रोजगार भत्ते हेतु उसके आवेदन पत्र पर विचार करने से इंकार कर दिया है और अधिनियम के अधीन रोजगार हेतु मूल आवेदन पत्र को अभिस्वीकृत नहीं किया है।

(2) उप धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने पर कार्यक्रम अधिकारी सम्यक् जांच और अपना समाधान करने के उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को इस तथ्य के होते हुए भी कि आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं भेजा गया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बेरोजगारी भत्ते का बन्द कर दिया जाना

8— (1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जायेगा जैसे ही—

(क) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्देशित किया जाय कि वह कार्य के बारे में या तो स्वंय रिपोर्ट करे या उसके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रिपोर्ट करने के लिए प्रतिनियुक्त करे ; या

(ख) जिस अवधि के लिए रोजगार चाहा गया है वह समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए उपस्थित नहीं हुआ है ; या

(ग) आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्य वित्तीय वर्ष के भीतर कम से कम कुल सौ दिन का कार्य प्राप्त कर लें ; या

(घ) आवेदक का परिवार मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते से कुल मिला कर उतना अर्जित कर चुका है जो वित्तीय वर्ष के दौरान सौ दिन के कार्य के बराबर हो।

बेरोजगारी भत्ता का दावा करने के सम्बन्ध में अपात्रता

9— (1) यदि मानव नियन्त्रण से परे परिस्थितियों, यथा वृष्टि या असामान्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ रहती है (अर्थात् कार्यक्रम अधिकारी ऐसा पत्र जारी करने में असमर्थ रहता है जिसके द्वारा रोजगार चाहने वाले को किसी कार्य के लिए निर्देशित किया गया हो या कार्यान्वयन अभिकरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशित व्यक्तियों को आमेलित करने या कार्य का दायित्व लेने या उसे जारी रखने में असमर्थ रहता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का राज्य

सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

(2) कोई आवेदक जो–

(क) किसी स्कीम के अधीन अपने परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार को स्वीकार नहीं करता है;

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है ;

(ग). सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ;

(घ) अधिनियम के अधीन संदेय, बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के लिए इस नियम के अधीन अपेक्षित पात्रता सम्बन्धी शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे पहले ही से सरोजगार होते हुए बेरोजगारी भत्ते का दावा करते हुए और जो स्वीकार करते हुए पाया जाय वह बेरोजगारी भत्ते का दावा करने और उसे स्वीकार करते हुए पाये जाने के अंतिम दिन से 03 माह की अवधि तक बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा ;

(4) यदि किसी भी समय ग्राम पंचायत का यहां समाधान हो जाये कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या सूचना उपलब्ध कराकर अपना नाम पंजीकृत कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी से निवेदन कर सकती है कि वह सुनवाई का सम्यक् अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके नाम को हटाने के लिए निर्देश प्रदान करे।

(5) यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए राज्य बेरोजगारी भत्ता के अधीन तात्पर्यित भत्ता प्राप्त किया है तो उसका दावा नामंजूर कर दिया जायेगा।

कतिपय परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ते का संवितरण न करना।

10– (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेरोजगारी भत्ते का समय पर या बिलकुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है तो वह राज्य सरकार को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पटट पर, कार्यक्रम अधिकारी के सूचना पटट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिसे वह आवश्यक समझे, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए और राज्य सरकार यथाशीघ्र बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु सभी उपाय करेगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक के उत्तरदायित्व

11– (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर बेरोजगारी भत्ते के संवितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि कोई भी आवेदक राज्य की विभिन्न बेरोजगारी भत्ते सम्बन्धी स्कीमों, यथा शिक्षित व्यक्तियों आदि के लिए बेरोजगारी भत्ते, के अधीन दोहरा लाभ न प्राप्त करें।

(3) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि बेरोजगारी भत्ते का सृजन प्रामाणिक नहीं था तो वह अधिनियम की धारा 90 छ के अधीन प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत और

कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा।

बैंक रिपोर्ट

12— राज्य सरकार प्रबन्ध सूचना पद्धति, और बेरोजगारी भत्ते की वार्षिक रिपोर्ट विहित कर सकती है और बेरोजगारी भत्ता रिपोर्ट को राज्य नियोजन गारंटी परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

Singhal

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

28/7/9/14

प्रपत्र संख्या–1

(नियम 5 (क) देखिए)

बेरोजगारी गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पत्र

1.	नामः—		
2.	पताः—		
3.	लिंगः—		
4.	आयुः—		
5.	पंजीकरण संख्याः—		
6.	पंजीकरण का दिनांकः—		
7.	दिनांक जब रोजगार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और जिसको प्रस्तुत किया गया।		
8.	दिनों की संख्या जब तक के लिए बेरोजगारी भत्तों का दावा किया गया है।		
9.	उस अवधि के प्रारम्भ होने का दिनांक जिसके लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा किया गया है।		

मैं .... निवासी .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उस अवधि में जिसके लिए इस आवेदन पत्र में बेरोजगारी भत्ते का दावा कर रहा हूँ, कहीं भी नियोजित नहीं था और यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त अवधि या उसके किसी भाग के दौरान में

नियोजित था तो मैं एतद्द्वारा उक्त अवधि के लिए प्राप्त बेरोजगारी भत्ते की धनराशि सरकार को वापस करने का वचन देता हूँ।

दिनांक: ....

आवेदन के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रपत्र संख्या–2

(नियम 5 (ड.) देखिए)

जिला कार्यकम समन्वयक के आदेश, जिसमें वह अवधि इंगित है, जिसके लिए बेरोजगारी भत्ता देय है।

संख्या.........

सेवा में,
पंजीयजन अधिकारी
ग्राम.........
पंचायत समिति

श्री / श्रीमती / कुमारी .... पंजीकरण संख्या .. .. निवासी ग्राम .... को .... से .... तक की अवधि के लिए रुपये .... (रुपये . ... केवल) की धनराशि बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए स्वीकृत की जाती है।

स्थान ....

कार्यकम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

पंचायत समिति / तहसील ....

प्रतिलिपि श्री / श्रीमती / कुमारी .... ग्राम.............
.... को बेरोजगारी भत्ते के लिए उनके पत्र दिनांक ....
... के सन्दर्भ में प्रेषित।

प्रपत्र संख्या–3

(नियम 5 (ज) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थना पत्र के नामंजूर किये जाने के संबंध में सूचना

सेवा में,
श्री / श्रीमती / कुमारी ....
पंजीकरण संख्या ....
ग्राम ....
पंचायत समिति ....

सन्दर्भः– बेरोजगारी भत्ता के लिए आपका आवेदन पत्र दिनांकः .... दिनांक से .... तक की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते हेतु आपका दावा निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया जाता हैः–

....
....
....

स्थान .... कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
पंचायत समिति / तहसील

प्रपत्र संख्या–4

(नियम 5 (झ) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते का संवितरण सम्बन्धी रजिस्टर–

क्रमांक	रोजगार चाहने वाले का नाम	पंजीकरण संख्या	बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति के आदेश की संख्या और दिनांक	अवधि जब तक के लिए स्वीकृत किया गया है	धनराशि	भुगतान का दिनांक	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम और उसके हस्ताक्षर	पंजीयन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रपत्र संख्या–5

(नियम 5 (ख) देखिए)

रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन बेरोजगारी भत्ते हेतु अभिस्वीकृति

श्री .... पुत्र ....

ग्राम .... से प्रपत्र संख्या 1 में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया गया ।

प्रधान/पंचायत सचिव
के हस्ताक्षर